



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

## आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 11/2025/D-137

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 267914 दिनांक 20/11/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Anil Kumawat S/o SOHAN LAL	श्री पवन कुमार, अनिल कुमार पुत्रान स्व. श्री सोहनलाल, श्रीमती संतोष देवी पत्नी स्व. श्री सोहनलाल	S59	300.00 SQ. METER	JDA	SEZ KHATEDAR (VILLAGE JHAI) Sector/Block-	Name Transfer	ग्राम झाई तहसील सागानेर की अवाप्त भूमि खसरा नम्बर 664, 666 क्षेत्रफल 6906 वर्गमीटर के बदले 25 प्रतिशत विकसित भूमि आवासीय 1381 वर्गमीटर एवं व्यावसायिक 345 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल 1726 वर्गमीटर भूमि का आरक्षण पत्र जोन के पत्र क्रमांक डी-964 दिनांक 21.4.2007 के द्वारा श्री सोहन लाल पुत्र श्री बालूराम को जारी किया गया था। श्री सोहन लाल पुत्र श्री बालूराम के मृत्यु उपरान्त उक्त आरक्षण पत्र के आधार पर लॉटरी से आवंटित भूखण्डों का आवंटन पत्र



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

कमांक 78 दिनांक 8.01.2010 को श्री पवन कुमार, अनिल कुमार पुत्रान स्व. श्री सोहनलाल, श्रीमती संतोष देवी पत्नी स्व. श्री सोहनलाल के पक्ष में जारी किया गया था, जिसमें उक्त भूखण्ड आवंटित है। श्रीमती संतोष देवी पत्नी स्व. श्री सोहन लाल एवं श्री पवन कुमार पुत्र स्व. श्री सोहनलाल द्वारा रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र क्रमांक 201040000323 6 दिनांक 25.6. 2010 से सेज पुनर्वास योजना ग्राम झांई के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस-59 क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर भूमि पर अपने हिस्से का हकत्याग श्री अनिल कुमार पुत्र स्व. श्री सोहनलाल के पक्ष में किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर [jda.rajasthan.gov.in](http://jda.rajasthan.gov.in) पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. Anil Kumawat S/o SOHAN LAL को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित क्यवाकर प्रति अपलोड करें।  
कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्ररूप को राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशित करवावे।
2. प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमे प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय मे प्रस्तुत ना करें।